उत्तर प्रदेश शासन

संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2

संख्या–क0नि0–2–982/ग्यारह–9(42)/17–उ0प्र0जी0एस0टी0 नियम–2017–आदेश–(41)–2019
लखनऊः दिनांकः 02 जुलाई , 2019

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 1904) की धारा 21 के साथ पठित उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 2017) की धारा 164 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर नियमावली, 2017 में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं, अर्थात्:-

उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (उनतीसवाँ संशोधन) नियमावली, 2019

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ	1.	**(1)** यह नियमावली उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर ((उनतीसवाँ संशोधन) नियमावली, 2019 कही जायेगी । **(2)** यह गजट में प्रकाशित किये जाने की तारीख से प्रवृत्त होगी।
नियम 23 का संशोधन	2.	उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर नियमावली, 2017 (जिसे आगे उक्त नियमावली कहा गया है), में नियम 23 में उपनियम (1) में प्रथम परंतुक के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक बढा दिये जाएंगे, अर्थात्:- "परंतु यह और कि रजिस्ट्रीकरण रद्दकरण आदेश की तारीख से रजिस्ट्रीकरण रद्दकरण प्रतिसंहरण की तारीख तक की अवधि के लिए देय समस्त विवरणियां, उक्त व्यक्ति द्वारा रजिस्ट्रीकरण रद्दकरण प्रतिसंहरण आदेश की तारीख से 30 दिनों की अवधि के भीतर प्रस्तुत की जाएंगी: परंतु यह भी कि जहां रजिस्ट्रीकरण भूतलक्षी प्रभाव से रद्द किया गया हो वहां रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति रजिस्ट्रीकरण रद्दकरण की प्रभावी तारीख से रजिस्ट्रीकरण रद्दकरण प्रतिसंहरण आदेश की तारीख तक की अवधि से संबंधित सभी विवरणियां, रजिस्ट्रीकरण रद्दकरण प्रतिसंहरण आदेश की तारीख से 30 दिनों की अवधि के भीतर प्रस्तुत करेगा।"।
नियम 62 का संशोधन	3.	उक्त नियमावली में, नियम 62 में, – (क) पार्श्वशीर्षक में शब्द "प्रशमन पूर्तिकर्ता द्वारा त्रैमासिक विवरणी प्रस्तुत करने का प्ररुप और उसकी रीति" के स्थान पर शब्द "विवरण और

		विवरणी प्रस्तुत करने का प्ररुप और उसकी रीति" रख दिये जायँगे; (ख) उप नियम (1), – (i)शब्द और अंक "धारा 10 के अधीन कर का संदाय" से प्रारम्भ होने वाले तथा अक्षर एवं अंक "**प्ररुप जीएसटीआर-4**" से समाप्त होने वाले भाग के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाएगा, अर्थात् :- "धारा 10 के अधीन कर का संदाय करने वाला या संस्थागत वित, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2, उत्तर प्रदेश शासन की अधिसूचना संख्या–क0नि0–2–810/ग्यारह–9(47)/17–उ0प्र0एक्ट–1–2017–आदेश–(38)– 2019 दिनांक 28 मई, 2019 का लाभ प्राप्त करते हुए कर संदाय करने वाला- (i) यथास्थिति प्रत्येक तिमाही या उसके आंशिक भाग के लिए, ऐसी तिमाही के उत्तरवर्ती मास के 18वें दिन तक **प्ररुप जीएसटी सीएमटी-08** में स्व-निर्धारित कर संदाय के ब्यौरों सें अंतर्विष्ट विवरण प्रस्तुत करेगा और (ii) यथास्थिति प्रत्येक वित्तीय वर्ष या उसके आंशिक भाग के लिए, ऐसे वित्तीय वर्ष की समाप्ति के आगामी अप्रैल माह के तीसवें दिन तक **प्ररुप जीएसटीआर-4** में विवरणी प्रस्तुत करेगा"; (ii) परंतुक निकाल दिया जाएगा; (ग) उपनियम (2) में शब्द "अधीन विवरणी" से प्रारम्भ होने वाले और शब्द "अन्य धनराशि" से समाप्त होने वाले भाग के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाएगा, अर्थात् :- "विवरण प्रस्तुत करने वाला प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति कर या ब्याज" (घ) उपनियम (4) में, -- (i) शब्द और अंक "धारा 10 के अधीन संदाय करने का विकल्प लिया है" के पश्चात् शब्द, अक्षर, अंक और कोष्ठक "या संस्थागत वित, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2, उत्तर प्रदेश शासन की अधिसूचना संख्या–क0नि0–2–810/ ग्यारह–9(47)/17–उ0प्र0एक्ट–1–2017–आदेश–(38)– 2019 दिनांक 28 मई, 2019 का लाभ प्राप्त किया है" बढा दिये जायँगे; (ii) स्पष्टीकरण में, - (क) शब्द "उपभोग करने के योग्य नहीं" के पश्चात शब्द "का" निकाल दिया जायेगा; (ख) शब्द "प्रशमन स्कीम का विकल्प लेने" के पश्चात् शब्द, अक्षर, अंक और कोष्ठक "या संस्थागत वित, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2, उत्तर प्रदेश शासन की अधिसूचना संख्या–क0नि0–2–810/ग्यारह–9(47)/17–उ0प्र0एक्ट–1 –2017–आदेश–(38)–2019 दिनांक 28 मई, 2019 का लाभ प्राप्त करते हुए कर के संदाय का विकल्प लेने" बढ़ा दिये जायँगे;

		(ङ.) उपनियम (5) में, शब्द, अंक और अक्षर "धारा 9 के अधीन कर के संदाय के लिए **प्ररुप जीएसटीआर-4** में विकल्प लेने से पूर्व अवधि से उत्तरवर्ती वित्त वर्ष के सितंबर मास को समाप्त होने वाली तिमाही के लिए विवरण प्रस्तुत करने की सम्यक तारीख या पूर्ववर्ती वित्त वर्ष के लिए विवरणी प्रस्तुत करने की सम्यक तारीख, जो भी पूर्वतर हो" के स्थान पर "ऐसी अवधि जिसके लिए, तिमाही जिसमें प्रत्याहरण की तारीख आती है, के उत्तरवर्ती मास के 18वें दिन तक प्रशमन स्कीम के अधीन कर का संदाय किया है, के स्थान पर शब्द, अंक और अक्षर "**प्ररुप जीएसटी सीएमपी-08** में विवरण प्रस्तुत करेगा और वित्तीय वर्ष जिसके दौरान ऐसा प्रत्याहरण आता है की समाप्ति के उत्तरवर्ती अप्रैल मास के 30वें दिन तक उक्त अवधि के लिए **प्ररुप जीएसटीआर-4** में विवरणी प्रस्तुत करेगा" रख दिये जायेंगे; (च) उपनियम 5 के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम बढ़ा दिया जाएगा, अर्थात् :- "6. रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति जिसने संस्थागत वित, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2, उत्तर प्रदेश शासन की अधिसूचना संख्या–क0नि0–2–810/ ग्यारह–9(47)/17–उ0प्र0एक्ट–1–2017–आदेश–(38)–2019 दिनांक 28 मई, 2019 की अधिसूचना का लाभ प्राप्त करना बंद कर दिया है जहां अपेक्षित हो, ऐसी अवधि के लिए तिमाही जिसमें परिविरति तारीख आती है से उत्तरवर्ती मास के 18वें दिन तक उक्त अधिसूचना के अधीन लाभ प्राप्त करते हुए कर का संदाय किया है **प्ररुप जीएसटी सीएमपी-08** में विवरण प्रस्तुत करेगा और वित्तीय वर्ष जिसके दौरान ऐसी परिविरति होती है, की समाप्ति के उत्तरवर्ती अप्रैल मास के 30वें दिन तक उक्त अवधि के लिए प्ररुप जीएसटीआर-4 में विवरणी प्रस्तुत करेगा" ।
नया प्ररुप जीएसटी सीएमपी-08 का बढ़ाया जाना	4.	उक्त नियमावली में, प्ररुप जीएसटी सीएमपी-07 के पश्चात् निम्नलिखित प्ररुप बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात्:-

"प्ररुप जीएसटी सीएमपी-08

(नियम 62 देखें)

स्व:निर्धारित कर के संदाय के लिए विवरण

वित्तीय वर्ष	
तिमाही	

1.	जीएसटीआईएन		
2.	(क)	विधिक नाम	<स्वत:>
	(ख)	व्यापार नाम	<स्वत:>
	(ग)	एआरएन	< स्वत:> (फाइल करने के पश्चात्)
	(घ)	फाइल करने की तारीख	< स्वत:> (फाइल करने के पश्चात्)

3. स्व:निर्धारित दायित्व का सारांश

(कुल अयिम, जमा और विकलन टिप्पणी और संशोधन आदि के कारण कोई अन्य समायोजन)

(सभी सारणियों में रुपयों में रकम)

क्र. सं.	विवरण	मूल्य	एकीकृत कर	केंद्रीय कर	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र कर	सेस
1	2	3	4	5	6	7
1.	जावक पूर्ति (छूट प्राप्त पूर्ति को सम्मिलित करते हुए)					
2.	आवक पूर्ति सेवाओं के आयात को सम्मिलित करते हुए आरक्षित भार को आकर्षित करते हुए आवक पूर्ति					
3.	संदेय कर (1+2)					
4.	संदेय ब्याज, यदि कोई हो					
5.	संदेय कर और ब्याज					

4. सत्यापन

मैं एतद्द्वारा सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं और घोषणा करता हूं कि उपरोक्त दी गई सूचना मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है तथा इसमें कुछ भी छिपाया नहीं गया है ।

हस्ताक्षर

स्थान :
तारीख:

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम
पदनाम/प्रास्थिति

अनुदेश :

1. उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 10 के उपबंधों के अधीन या अधिसूचना संख्या–क0नि0–2–810/ग्यारह–9(47)/17–उ0प्र0एक्ट–1–2017–आदेश–(38)– 2019 दिनांक 28 मई, 2019 का लाभ प्राप्त करते हुए कर का संदाय करने वाला करदाता, सम्यक तारीख तक तिमाही आधार पर कर का संदाय करेगा ।
2. अग्रिम, जमा/विकलन टिप्पण या सुधार के लेखें समायोजन दायित्व के विरुद्ध रिपोर्ट की जाएगी ।
3. नकारात्मक मूल्य की ऐसे रिपोर्ट की जाएगी कि ऐसा मूल्य समायोजन के पश्चात् आया है ।
4. यदि कुल संदेय कर नकारात्मक हो गया है, तब उसे अगली कर अवधि के लिए, उस अवधि में उसका उपयोग करने के लिए अग्रेषित किया जाएगा ।
5. यदि संदाय सम्यक तारीख के पश्चात् किया जाता है तो ब्याज उद्ग्रहणीय होगा ।
6. 'शून्य' विवरण दाखिल किया जाएगा यदि तिमाही के दौरान कोई कर देयता बकाया नहीं है

प्रारुप जीएसटी आरईजी 01 का संशोधन	5.	उक्त नियमावली में, **प्ररुप जीएसटी आरईजी-01** में अनुदेश सं.16 के पश्चात् निम्नलिखित अनुदेश बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात्:- "17. करदाता जो यथासंशोधित अधिसूचना संख्या–क0नि0–2–810/ग्यारह–9(47)/17–उ0प्र0एक्ट–1–2017–आदेश–(38)– 2019 दिनांक 28 मई, 2019 का लाभ प्राप्त करते हुए कर का संदाय करना चाहते हैं वे इस प्ररुप के क्रम सं. 5 और 6.1 (iii) पर ऐसा विकल्प उपदर्शित करेंगे ।"

आज्ञा से,

Sinha

(आलोक सिन्हा)
अपर मुख्य सचिव